10

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

प्रभावी विधायक कैसे बनें

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2022

''इस शृंखला की पुस्तकें''

1. सूचना – एक नज़र में
2. राज्य सभा – भारतीय राज व्यवस्था में इसका योगदान
3. विधि निर्माण प्रक्रिया
4. राज्य सभा में समिति प्रणाली
5. संसदीय विशेषाधिकार
6. सदस्य द्वारा करने और न करने योग्य बातें
7. सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका
8. कार्यपालिका – संसद के प्रति इसका उत्तरदायित्व
9. विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबन्धन
10. प्रभावी विधायक कैसे बनें

10

भारतीय संसद
राज्य सभा

प्रभावी विधायक कैसे बनें

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : http://parliamentofindia.nic.in
: http://rajyasabha.nic.in
ई–मेल : http://rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इस पुस्तिका में संसद सदस्य को एक प्रभावी विधि निर्माता बनने में सहायक विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में शामिल किया गया है। सम्पूर्ण सूचना के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जून, 2022

पी. सी. मोदी
महासचिव

विषय–सूची

		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1
2.	विधान–मंडल के कार्य में भाग लेना	2–4
3.	सरकार के कार्य–निष्पादन की संवीक्षा	5
4.	संसद की शालीनता बनाये रखना	6
5.	विधान–मंडल में भाषण कला	7–8
6.	विधायक: नागरिकों तथा सरकार के बीच एक कड़ी	9–11
7.	परस्पर विरोधी मांगें	12–13
8.	निष्कर्ष	14–15
9.	चुनिंदा संदर्भ–ग्रंथ सूची	16

प्रस्तावना

अपने प्रतिनिधि, विधायी और निगरानी संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए संसद को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। संसद जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों से गठित एक संस्था है। अत: जनता की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में इसकी शक्ति तथा प्रभावकारिता काफी हद तक इसके सदस्यों के आचरण और कार्य सम्पादन पर निर्भर करती है।

एक विधायक को वस्तुत: एक ही समय में अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि, विधान-मंडल के सदस्य, कभी-कभी मंत्री, राजनैतिक दल के सदस्य और बहुधा हित विशेष के प्रवक्ता अथवा किसी समुदाय के सदस्य की भूमिका निभानी होती है। इसके अनेक दायित्व हैं और इनके बीच तालमेल स्थापित करना सदैव आसान नहीं होता। उसकी निष्ठा उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति होती है जिसने उसे चुनकर भेजा है, उस दल के प्रति होती है जिससे उसका संबंध है और सर्वोपरि समूचे राष्ट्र के प्रति होती है।

विधान-मंडल के कार्य में भाग लेना

किसी भी नये विधायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सभा की कार्यवाही से खुद को अभ्यस्त करना। यद्यपि सभा नये सदस्य के प्रति विनम्र रह सकती है, तथापि, वह कभी भी बहुत अधिक मैत्रीभाव नहीं दिखाती। अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए विधायक को सभी उपलब्ध अवसरों का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए और सभा के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रक्रियाएं विकसित की गयी हैं जिनमें से कुछ तो परंपरागत हैं और कुछ नई हैं। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है, आधे घंटे की चर्चा तथा अल्पकालीन चर्चा आरंभ कर सकता है, स्थगन प्रस्तावों,[1] ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, अनियत दिन वाले प्रस्तावों और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों आदि की सूचना दे सकता है। वह विशेष उल्लेख [नियम 180(क) से 180(ङ) तक] के माध्यम से राज्य सभा में किसी मामले को उठा सकता है।[2] इसके अतिरिक्त सदस्य शून्य काल के दौरान निवेदन के माध्यम से सभा में लोक महत्व के मामलों को उठा सकता है (सभापीठ की अनुमति से उठाए गए मामले)। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में तथा बजट पर चर्चा में भाग लेकर भी सदस्य सभा की कार्यवाही में अपना सार्थक योगदान दे सकता है।

कोई भी सदस्य सभा में किसी मामले को तब तक प्रभावशाली ढंग से नहीं उठा सकता तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक उसने पहले ही उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी न की हो तथा उसे उस विषय की पूरी जानकारी न हो। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पत्रिकाओं के साथ-साथ

---

[1] स्थगन प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही ग्राह्य होते हैं।

[2] लोक सभा में, सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 377 के तहत लोक महत्व के मामलों को उठाते हैं।

सरकारी या गैर–सरकारी एजेंसियों तथा प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित विभिन्न सूचनादायक प्रलेखों का अध्ययन इस दिशा में लाभदायक सिद्ध होगा।

वह अपनी रुचि के अनुसार अनेक विषयों में रुचि रखने के अलावा एक या दो क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी प्राप्त कर सकता है। कार्यक्षेत्र, विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता किसी सदस्य को गंभीर विधायक बनाने में मदद करते हैं।

यद्यपि, आज के संदर्भ में विधान प्रायोजित करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: सरकार का होता है, तथापि, विधान को आकार प्रदान करने में सदस्य बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और साथ ही एक गैर–सरकारी सदस्य के रूप में विधेयक पुर:स्थापित भी कर सकते हैं। अब तक, गैर–सरकारी सदस्यों के 14 विधेयक अधिनियमित हुए हैं, जिनमें से 5 विधेयक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा पुन:स्थापित किए गए थे।[3] इनके अलावा, दो (गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक) विधेयक नामत: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 तथा

---

[3](1) मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952; (2) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (धारा 435 का संशोधन); (3) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (धारा 2 आदि का संशोधन); (4) विधान मंडल कार्यवाही (प्रकाशन–संरक्षण) विधेयक,1956 [जब यह विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया गया तो इसका नाम बदलकर 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन–संरक्षण) विधेयक,1956' कर दिया गया]; (5) स्त्री और बालक संस्थान (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954; (6) प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना)विधेयक, 1954; (7) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (धारा 10 का संशोधन); (8) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (धारा 98 का संशोधन); (9) अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960; (10) समुद्री बीमा विधेयक, 1963 (भारतीय समुद्री बीमा विधेयक, 1959 के रूप में राज्य सभा में पुर:स्थापित); (11) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक,1963; (12) संसद सदस्य वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (धारा 3 एवं 5 का संशोधन); (13) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 292, 293 आदि का संशोधन); (4) उच्चतम न्यायालय की (दाण्डिक) अपीली अधिकारिता का विस्तारण विधेयक, 1968 [लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने पर नाम बदल कर ''उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपीली अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1970'' कर दिया गया।]

विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 भी राज्य सभा द्वारा क्रमशः 2 मार्च, 1979 को और 24 अप्रैल, 2015 को पारित किए गए थे। तथापि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक छठी लोक सभा के भंग होने के कारण व्यपगत हो गया जबकि विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को लोक सभा द्वारा लंबित विधेयकों के रजिस्टर से हटा दिया गया क्योंकि काफी हद तक मिलता जुलता सरकारी विधेयक नामतः उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 को लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया।[4] यद्यपि अधिकतर मामलों में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रायोजित विधेयक कानून नहीं बन पाते, किन्तु वे ऐसे विधेयकों में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर विधान बनाने हेतु सरकार को जागरूक बनाकर एक उपयोगी उद्देश्य पूरा करते हैं।

[4] राज्य सभाः एक सफरनामा 1952 से, राज्य सभा सचिवालय, 2019 , पृष्ठ 106

सरकार के कार्य–निष्पादन की संवीक्षा

आधुनिक संसदीय प्रणालियों में एक आम बात यह पाई जाती है कि उनमें विधान मंडल के कार्यों में कार्यपालिका का प्राबल्य रहता है। विधान–मंडल कार्यपालिका द्वारा धारित असाधारण शक्ति और संसाधनों पर निगरानी रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनका प्रयोग उचित तथा विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। एक सतर्क विधायक प्रक्रिया नियमों के अधीन उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियात्मक तरीकों का प्रयोग करते हुए सरकारी नीतियों या क्रियाकलापों तथा लोक महत्व के अन्य महत्वपूर्ण मामलों के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है तथा इन पर ध्यान दे सकता है। इसके अतिरिक्त, संसदीय समितियों के विचार–विमर्श में भाग लेकर भी सदस्य सरकार के कार्यों पर कड़ी तथा निरन्तर निगरानी रख सकता है।

संसद की शालीनता बनाए रखना

सभा में विधायकों से यह अपेक्षित है कि वे उन विभिन्न नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें जो सभा के सुव्यवस्थित तथा सुप्रवाही कार्य-संचालन और सभा की गरिमा और शालीनता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इन नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है जैसे संविधान, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम तथा सदस्यों के लिए जानकारी पुस्तिका, आदि। ऐसी अनेक प्रथाएं, परम्पराएं और अन्य संसदीय शिष्टाचार भी हैं जो पूर्व दृष्टान्तों, सभापीठ द्वारा दी गई व्यवस्थाओं और यहां तक कि अनभिलिखित परम्पराओं पर आधारित हैं जिनका विधायकों को पालन करना होता है। यदि कोई सदस्य सभा में असंतुष्ट रह जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, तो वह अनुशासनहीनता का सहारा लिए बगैर अथवा असंसदीय भाषा का प्रयोग किए बिना नियमों के दायरे में रहकर प्रभावकारी तरीके से ऐसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सदस्य को उसे दिए गए समय के बारे में सजग रहना चाहिए और उसे समय के एक-एक मिनट का उपयोग अत्यंत मितव्ययिता तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से करना चाहिए। संसदीय शालीनता तथा अनुशासन बनाये रखना किसी सदस्य के कर्तव्य का अनिवार्य हिस्सा होता है।

विधान-मंडल में भाषण कला

वक्तृत्व कला में निपुणता, एक ऐसा महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी सदस्य को एक प्रभावी विधायक बनने में काफी मदद करता है। इसके द्वारा सदस्य को मतदाताओं के समक्ष अपनी एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है और इससे वह उस भूमिका को सफलतापूर्वक निभा सकता है जिसकी उसके निर्वाचन-क्षेत्र के लोग तथा उसका दल उससे आशा करते हैं। वाकपटु विधायक किसी भी मामले को एक भिन्न आयाम देकर किसी वाद-विवाद की दिशा मोड़ सकता है। सदस्य एक अत्यन्त साधारण बात को बहुत प्रभावी ढंग से कह सकता है तथा सभा को उस पर अपने दृष्टिकोण के अनुरूप विचार करने हेतु सफलतापूर्वक राजी करा सकता है। हमारे देश तथा अन्य देशों की संसदीय संस्थाओं के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है। किसी को भी यह जानने की इच्छा हो सकती है कि क्या आधुनिक संसदीय लोकतंत्र में, जहां सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत धारणाओं पर ध्यान न देते हुए अपने दल की नीतियों तथा दल के 'व्हिप' के अनुसार मतदान करें, वहां किसी विधायक के लिए चाहे वह कितना भी वाकपटु क्यों न हो, सदन में अपनी बात मनवा लेना संभव हो सकता है। परन्तु संसदीय इतिहास ऐसे निर्भीक लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो सदन में अपनी विद्वत्ता और वाकपटुता के फलस्वरूप बहुत प्रभाव रखते थे और उन्हें बहुत सम्मान मिला। ऐसे प्रतिभाशाली विधायक अपनी वाकपटुता के प्रभाव मात्र से अपने दृष्टिकोण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

सदन में कोई विधायक जो कुछ कहता है, उसके लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस विशेषाधिकार के फलस्वरूप वह बिना किसी भय अथवा हिचकिचाहट के मुक्त भाव से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तथापि, इस संबंध में कतिपय प्रतिबंध भी हैं। सदस्य को अपने दल

की नीतियों के दायरे में ही बोलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि सदस्य सभापीठ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो भी जाता है, तब भी सदस्य को सदा निर्धारित समयावधि के अंदर ही अपनी बात कहनी पड़ती है। प्रभावशाली होने के लिए विधायक को सभा में सदैव उपस्थित रहना चाहिए और अन्य वक्ताओं की बातों को समझना चाहिए ताकि अपनी बारी आने पर वह उन बातों को न दोहराए जो पहले बोली जा चुकी हैं और जहां पर भी वह किसी मंत्री अथवा अपने सहयोगी द्वारा पहले व्यक्त किये गये विचारों से सहमत न हो, वहां वह अपने दृष्टिकोण को कारणों सहित प्रस्तुत करे। इन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, सफल विधायक को नेता जैसी आकर्षक अपील, वकील की तरह तर्क-वितर्क करने की निपुणता तथा प्राध्यापक जैसी व्याख्या करने की क्षमता का एक साथ प्रदर्शन करना होता है।

विधायक : नागरिकों तथा सरकार के बीच एक कड़ी

विधायक अपने निर्वाचन-क्षेत्र का प्रत्यायित प्रतिनिधि होता है। एक ओर उस पर अपने निर्वाचन-क्षेत्र की जनता के कल्याण का उत्तरदायित्व होता है, तो दूसरी ओर वह कानून बनाने वालों में से भी एक होता है / होती है। यह प्रतिनिधि का दर्जा विधायकों को एक ऐसा विशेष स्थान प्रदान करता है जो उन्हें जनता तथा सरकार के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त बना देता है। एक विधायक को जनता की आकांक्षाओं को सरकार को बताना होता है और दूसरी ओर सरकार के दृष्टिकोण को भी जनता तक पहुंचाना होता है।

विधायक का एक अनिवार्य कर्तव्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करना है। उसे अपने आप में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वक्ता तथा एक राजनीतिज्ञ के सभी गुण अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने चाहिए। सदस्य में सेवा की भावना तथा बलिदान की भावना विद्यमान होनी चाहिए। सदस्य के क्रियाकलापों का केन्द्र उसका निर्वाचन-क्षेत्र होता है, इसलिए उसे सबसे पहले उसकी चिंता करनी चाहिए और एक विधायक के रूप में उसकी सफलता या विफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उस पर कितना विश्वास है। सदस्य को अपने निर्वाचन-क्षेत्र की समस्याओं, वहां रहने वाले लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसे उन साधनों का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए जिनसे वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की उचित मांगों को पूरा कर सके। वस्तुत: आम जनता सहायता के लिए विधायक के पास आती है और प्राय: उसे ही जनता की ओर से उनकी समस्याओं का उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याएं रखनी होती हैं। एक ओर जहां उसे अपनी पूर्ण सामर्थ्य तथा समझदारी के अनुसार इन समस्याओं से निपटना होता है,

वहीं दूसरी ओर उसे एक सीमा-रेखा खींचनी होती है जिसके बाद उसका निजी हित समाप्त होता है, तथा राष्ट्रहित या सामुदायिक हित आरंभ होता है। किसी विधायक के लिए संतुष्टि या उपलब्धि की इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि वह जनता के कल्याण के लिए रचनात्मक रूप से योगदान करने में सफल हुआ है।

समाज के नेताओं के रूप में विधायकों का एक विशेष स्थान है जहां से वे जनमत तैयार कर सकने तथा सरकार को प्रभावित कर सकने की एक अनोखी स्थिति में होते हैं। वे जमीनी हकीकतों के आधार पर बहुमूल्य आदान/प्रतिपुष्टि उपलब्ध करा सकते हैं जिससे जनता की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली लोक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता मिलती हैं। हमारे जैसे देश में विधायक जनता को जागरूक करके और जन-समर्थन जुटाकर विकास तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अपना वास्तविक योगदान भी दे सकते हैं। विकास संबंधी क्रियाकलापों के जरिए विधायकों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य करने और राष्ट्र निर्माण में सहायता करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं।

अपने निर्वाचकों को शिक्षित करना भी विधायक का एक कर्त्तव्य है और ऐसा करने के लिए उसे पहले स्वयं को शिक्षित करना होता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाने पर, चाहे बहुत थोड़े मतों से ही हो, विधायक को अपने आपको सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि समझना चाहिए। जिन लोगों ने उसका समर्थन किया तथा जिन्होंने नहीं किया, उनके बीच उसे कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जन प्रतिनिधि के रूप में वह सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए ही निर्वाचित होता है। सदस्य को समय-समय पर उठने वाले विभिन्न मामलों के बारे में अपने निर्वाचकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी विधान के परिणामस्वरूप कुछ लोगों को भले ही कठिनाई हुई हो, तो भी विधायक को जनता को यह अवश्य बताना चाहिए कि अमुक विधान देश अथवा राज्य के सर्वोपरि हित में क्यों और कैसे अनिवार्य था। एक विधायक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य यह

होना चाहिए कि वह लोगों को उनके नागरिक कर्तव्यों, दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन में अनुशासन तथा संयम की आवश्यकता के बारे में बताए। सदस्य को समाज से सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी सम्मिलित और पुरजोर प्रयास करना चाहिए।

परस्पर विरोधी मांगें

विधायक को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक चुनौती राष्ट्र के प्रति तथा दल के प्रति उनकी निष्ठा के बीच टकराव का होना है। इस प्रकार की स्थिति नियमित रूप से तो उत्पन्न नहीं होती परन्तु जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वह विधायक के लिए अत्यंत तनाव उत्पन्न कर देती है। एक ओर जहां उससे दल के प्रति अनुशासन के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस विधान का समर्थन करे जिसके प्रति उसका दल वचनबद्ध है दूसरी ओर उसकी अन्तरात्मा उसे उसका विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कभी-कभी विधायक के लिए ऐसी असहज स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि जब उसका निर्वाचन-क्षेत्र किसी विधान का विरोध करे और वह यह महसूस करे कि उसका समर्थन करके वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है / रही है। एडमंड बर्क ने किसी प्रतिनिधिक लोकतंत्र में इस प्रकार की भारी असमंजसपूर्ण स्थिति के बारे में निम्नलिखित शब्दों में संतुलित उत्तर दिया था:

> *किसी प्रतिनिधि के लिए अपने निर्वाचकों के पूर्ण सान्निध्य में रहना, उनसे घनिष्ठतापूर्वक पत्राचार करना, तथा उनके साथ अति नि:संकोच संपर्क रखना प्रसन्नता तथा गौरव की बात होनी चाहिए। उसे उनकी इच्छाओं को बहुत महत्व देना चाहिए; उनकी राय को उच्च सम्मान देना चाहिए। उनके कार्य पर निरन्तर ध्यान देना चाहिए। उनके आराम, उनकी खुशी और उनकी संतुष्टि के लिए अपना आराम, खुशी तथा संतुष्टि न्योछावर कर देना उसका कर्त्तव्य है; और इन सबसे अधिक और सदैव उसे सभी मामलों में अपने हित की अपेक्षा उनके हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके अथवा किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए उसे अपनी निष्पक्ष राय, अपना परिपक्व निर्णय, अपनी प्रबुद्ध अंतरात्मा को तिलांजलि नहीं दे देनी चाहिए ... आपका प्रतिनिधि न केवल अपनी*

कर्मनिष्ठा बल्कि अपने विचारों के संबंध में भी आपका ऋणी है और यदि वह, आपकी सेवा करने के बजाय, इन्हें आपकी राय के सामने त्याग देता है, तो वह आपके साथ विश्वासघात करता है।[5]

विधान–मंडल के अंदर मतदान करते समय सदस्य को उस दल द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना पड़ता है जिसके साथ वह संबद्ध है अन्यथा वह दल–बदल के आधार पर सदस्यता से निरर्ह हो सकता है। तथापि दल–बदल के आधार पर निरर्हता उसके दल के किसी अन्य दल में विलय (जब दल के दो–तिहाई से अन्यून सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों) हो जाने की दशा में लागू नहीं होगी। अन्य परस्पर विरोधी मांगों का समाधान करने के लिए उसे राष्ट्रहित को अपने मन में सर्वोच्च स्थान देते हुए अपनी पूरी सूझबूझ से निर्णय लेने पड़ते हैं।

---

[5] एडमंड बर्क, *स्पीच टू द इलेक्टर्स ऑफ ब्रिस्टल,* 3 नवम्बर, 1774
(http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/vlchl3s7.html)

निष्कर्ष

एक प्रतिनिधिक संस्था के रूप में विधान-मंडल किसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में एक केन्द्रीय संस्थान के रूप में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को मूक नहीं रहना है और अपनी बात को लोकतान्त्रिक तरीके से दृढ़ता के साथ व्यक्त करना हो, तो यह कार्य केवल जनता के प्रतिनिधि विधान-मंडल में कर सकते हैं। उनके सिवाय ऐसा कौन है जो अधिकारपूर्वक गरीबों और दलितों के हितों का समर्थन और रक्षा कर सके? विधायकों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां केवल इस उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं ताकि वे इन कार्यों को स्वतंत्र तथा निर्भीक रूप से कर सकें। जनप्रतिनिधि, समाज के समग्र हित की गारन्टी देने वाले और लोक हित के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार इस समाज में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत करने के लिए हमारी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था में एक विधायक की भूमिका अत्यावश्यक होती है।

विधायक को सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और नैतिक आचरण को कायम रखना होता है तथा शिष्टता, शालीनता और परस्पर व्यवहार में निष्पक्षता की भावना को बढ़ाना होता है। सदस्य को लोगों के समक्ष उनके अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में एक मिसाल कायम करनी होती है। निष्कर्ष के तौर पर सर विंस्टन चर्चिल ने ग्रेट ब्रिटेन के संदर्भ में जो कहा था वह भारत के लिए भी सच साबित हो सकता है। उन्होंने कहा:

> *किसी भी संसद सदस्य का पहला कर्तव्य यह है कि वह ऐसा कार्य करे जिसे वह अपने भरोसेमंद और निष्पक्ष निर्णय के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए उचित और आवश्यक समझे। उसका दूसरा कर्तव्य अपने उन निर्वाचकों के प्रति है जिनका वह प्रतिनिधि है, न कि*

उनके द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति ... दल के संगठन अथवा कार्यक्रम के प्रति उसका कर्तव्य तीसरे स्थान पर आता है। इन तीनों निष्ठाओं का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में इनका प्राथमिकता क्रम क्या हो, इस बारे में कोई संदेह है।[6]

[6] संसद सदस्य के कर्तव्यों के संबंध में सर विंस्टन चर्चिल।
(http://www.publications. parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmmodern/337/33706.html)

चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. कश्यप, सुभाष सी.: *दि मिनिस्टर्स एंड दि लेजिस्लेटर्स,* मेट्रोपॉलिटन, नई दिल्ली, 1982.

2. जाखड़, बलराम: *पीपल, दि पार्लियामेंट एंड दि एडमिनिस्ट्रेशन,* मेट्रोपॉलिटन, नई दिल्ली, 1982.

3. रेड्डी, ए. शंकर: दि एफीकेसी ऑफ एलोक्विन्स इन पार्लियामेंटेरी बॉडीज़, *जर्नल ऑफ पार्लियामेंटेरी इनफॉरमेशन,* संस्करण 17, सं. 4, अक्तूबर, 1971, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

4. जाखड़, बलराम: पार्लियामेंटेरी डेकोरम, *जर्नल ऑफ पार्लियामेंटेरी इनफॉरमेशन,* संस्करण 31, सं. 1, मार्च, 1985, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

5. राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम, नौवां संस्करण, 2016, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड़, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।